Year		No of families assisted		
		Target	Achievement	Amount disbursed (including portion of subsidy) (Rs. in crores)
1993-94	is provisional	2569942	2538320	2365.09
1994-95*		2115097	2182018	2419.92

The data

As far as Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is concerned, no target regarding number of' persons to be assisted in a year has been prescribed. However, a target has been prescribed in relation to the lending to be made by the banks. Each bank is required to lend under DRI Scheme, at least 1% of their aggregate advances of the previous year. The amount disbursed under DRI Schme by public sector banks during the year ended March 1993 was Rs. 151.56 crores against 370103 accounts Figures for she years ended March 1994 and March 1995 are not available.

ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

1047. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्तमान में देश में कुल कितने बैंक हैं और उनकी कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार सभी ग्रामीण बैंकों और उनकी शाखाओ के कार्यनिष्पादन के बारे में सर्वेक्षण कराती हैं यदि हां, तो ग्रामीण बैंकों और उनकी शाखाओं के कार्यनिष्पादन में क्या प्रगति रही हैं;

(ग) क्या सरकार देश के सभी ग्रामीण बैंकों तथा सभी शाखाओं का उनके प्रवर्तक विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या क्या कारण हैं और इन बैंकों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : (क) इस समय देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं जिनकी शाखाओं का नेटवर्क हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) दो वर्ष मे एक बार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता हैं। 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वित्तीय वर्षो की समाप्ति पर खातों की संख्या और जमा राशि तथा इन तीन वर्षो में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संवितरित ऋण नीचे दिए गए हैं:-

(लाख रूपए में)

जमा राशियां			
	1990-91	1991-92	1992-93
(i) खातों की संख्या	24150303	34526314	36161528
(ii) राशि	498923	586783	6934534
संवितारित ऋण	74749	110784	119790

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

Evasion of Excise Duty by Manufacturers

1048. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item captioned "Utpad shulk chori dabane ki kosis" appearing in the Jansatta on 19th June, 1995; and

(b) if so, the facts thereof?

THE FINANCE MINISTER (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) and (b) Yes Sir. The Government is aware of the news item captioned "Utpad Shulk chori dabane ki kosis" appearing in the Jansatta on 19th June, 1995. The news item refers to evasion of excise duty by stainless steel manufacturers in Haryana, Delhi and U.P.

The Preventive machinery of the departmnet has undertaken various anti evasion measures and has also booked some cases.

Plan for Development of Power Sector

1049. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is any comprehensive plan to develop power sector during the VIIIth Five Year Plan in private and public sectors; and

(b) if so, the amount to be spent thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHAMANBHAI PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) An outlay of Rs. 79589 crores has been approved for the power sector (State and Central Sectors) for the VIIIth Five Year Plan (1992—97)

प्रसारण मानदंडो की अवहेलना

1050. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरौला** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों की प्रसारण से पूर्व प्रसारण नियमों के तहत जांच की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो वे प्रसारण नियम क्या हैं; और;

(ग) पिछले दो वर्षो के दौरान इन नियमों की कितनी बार अवहेलना की गयी हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां। प्रसारण संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शन द्वारा सभी कार्यक्रमों की प्रसारण से पूर्व समीक्षा की जाती हैं।

(ख) प्रसारण संहिता में निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं हैं:-

1. मित्र देशों की आलोचना;

2. धार्मिक एवं सामुदायिक आलोचना;

3. अश्लील अथवा अवमानना संबंधी कोई विषयी;

4. हिंसा को भडकाए जाने अथवा कानून एंव व्यवस्था को बनाए रखने के विरूद्व कोई कार्यवाही;

5. न्यायालय की मानहानि संबंधी कोई कार्यवाही;

6. राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा न्यायपालिका की निष्ठा के विरूद्व किसी प्रकार की निंदा;

7. किसी राजनैतिक दल पर नाम से आक्षेप;

8. किसी रज्य अथवा केन्द्र की कटु आलोचना;

9. संविधान का निरादर दर्शाने वाली कोई कार्यवाही

अथवा हिंसा से संविधान में परिवर्तन का समर्थन करने वाली कार्यवाही, लेकिन संवैधानिक तरीके से परिवर्तन का समर्थन करने वाली किसी भी कार्यवाही को प्रतिबन्धित न किया जाए।

(ग) कभी नहीं।